(i) गोदामों का मानसून पूर्व निरीक्षण किया जाता है और वर्ष के पानी का रिसाव रोकने के लिए मरम्मत कार्य किया जाता है।

(ii) खाद्यान्नों का वैज्ञानिक ढंग से भण्डारण किया जाता है और नियमित रुप से पीडक जन्तु नियंत्रण उपाय किए जाते हैं।

(iii) भण्डारण गोदामों को आधुनिक ढंग से बनाया जाता है ताकि वे मूषक प्रुफ और नमी प्रुफ रहें।

(iv) जब कभी आवश्यक होता है भण्डारित स्टॉक का रोग निरोधी और रोगहर उपचार किया जाता है। रोग निरोधी उपचार के अधीन स्टाक पर कीट नाशक दवाईयों का छिड़काव किया जाता है।

(v) यदि स्टाक का कैप में भण्डारण किया जाता है तो खाद्यान्नों की सुरक्षा करने के लिए निम्नलिखित उपाय और किए जाते हैं:

(1) स्टाक का लकड़ी की क्रेटों पर भण्डारण किया जाता है और इसे विशेष रु. से तैयार किए गए "वाटर प्रूफ पोलिथीन कवरों" से ढका जाता है।

(2) तूफानों के दौरान झोकें द्वारा कवर को होने वाली हानि को रोकने के लिए पोलीथीन कवर को उचित रुप से बांधने के लिए नाइलोन की रस्सियां मुहैया की जाती है।

(3) अनाज को ठोस बनाए रखने के लिए साफ मौसम के दौरान खुले में स्टाक का वातन किया जाता है।

Villages not covered under RPDS

1459. SHRI JANARDHANA POOJARY: Will the Minister of CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION be pleased to state:

(a) whether there are any villages in tribal, mountainous and desert areas in the country which are not covered by Revamped Public Distribution System;

(b) if so, what is the break up of such villages State-wise; and

(c) what steps Government are taking to cover these villages under the RPDS?

THE MINISTER OF CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION (SHRI BUTA SINGH): (a) to (c) Blocks are generally the basic units for identifications of area coverage under Revamped Public Distribution System (RPDS). It is presently being implemented in 1775 blocks in 27 States/UTs covered under various area specific programmes like Integrated Tribal Development Project (ITDP), Desert Prone Area Programme (DPAP), Desert Development Programme (DDP) and Designated Hill Areas (DHA) identified in consultation with States/UTs. Village level details are not maintained by the Central Government.

गुजरात के कच्छ-सौराष्ट्र क्षेत्र में जनजातियों का विकास

1460. **श्री अनन्तराय देवशंकर दवेः** क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान गुजरात के कच्छ-सौराष्ट्र क्षेत्र में जन-जातियों के विकास के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) जन-जातियों के उत्थान की विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन से संबंधित ब्यौरा क्या है; और

(ग) आठवीं पचवर्षीय योजना के लिए कुल कितनी धनराशि रखे जाने का प्रस्ताव है और कच्छ-सौराष्ट्र क्षेत्र की जन-जातियों के विकास से संबंधित को क्या-क्या प्राथमिकताएं दी गई हैं?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गमंग): (क) से (ग) जनजातीय उप-योजना के तहत कल्याण मंत्रालय गुजरात के कच्छ-सौराष्ट्र क्षेत्र सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को इन क्षेत्रों में रहने वाली जनजातियों के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए राज्य योजना में वृद्धि के रूप में विशेष केंद्रीय सहायता उपलब्ध कराता है। इसके अतिरिक्त, विभिन्न केंद्रीय मंत्रालय/विभाग भी आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्य सरकार के माध्यम से केंद्रीय/केंद्र प्रायोजित स्कीमों को कार्यान्वित कर रहे हैं। इनसे भी गुजरात के कच्छ-सौराष्ट्र क्षेत्र में रहने वाली जनजातियों सहित अन्य जनजातीयों को लाभ होगा। कच्छ-सौराष्ट्र क्षेत्र की जनजातियों के विकास हेतु आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए अलग से विशेष आवंटन निर्धारित नहीं किया गया है। बहरहाल, गुजरात राज्य सरकार के

प्रस्तावों के आधार पर केन्द्रीय मंत्रालय/विभाग जनजातियों के विकास सहित राज्य में लोगों के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए केन्द्रीय/केन्द्र प्रायोजित स्कीमों के तहत राज्य सरकार को निधियां आबंटित करते हैं।

Proposals for technical assistance by voluntary organisations

1461. SHRI VIRENDRA KATARIA: Will the Minister of CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION be pleased to state:

(a) the number of proposals submitted to Government by various voluntary organisations for technical assistance;

(b) what are the names of organisations which have submitted the project proposals;

(c) whether any technical assistance has been extended to them and if so, the details thereof; and

(d) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION (SHIR BUTA SINGH): (a) to (d) As regards consumer affairs, the Ministry of Civil Supplies, Consumer Affairs and Public Distribution does not provide any technical assistance to voluntary consumer organisations. No proposal appears to have been received by the Ministry in the matter.

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए चीनी की उपलब्धता

1462. **श्री चिमनभाई हरिभाई शुक्ल:** क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 30 जून, 1995 की स्थिति के अनुसार सार्वजनिक वितरण, प्रणाली के पास चीनी का कितना भंडार था;

(ख) वर्ष 1995 में राज्य-वार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए चीनी की कितनी मांग होने का अनुमान है;

(ग) क्या सरकार ने इस संदर्भ में कोई राज्य-वार सर्वेक्षण करवाया है;

(घ) क्या किसी अभाव का पूर्वानुमान है; और

(ङ) यदि हां, तो अभाव की पूर्ति करने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) चीनी मौसम अक्तूबर से सितम्बर तक माना जाता है। तदनुसार, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की लिए अक्तूबर, 1994 से जून, 1995 तक लगभग 30.74 लाख टन मात्रा जारी की गई जिसमें कुछ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का त्यौहार कोटा शामिल है।

(ख) सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पी०डी०एस०) के लिए चीनी आपूर्ति के वर्तमान आधार पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए 1995 में राज्यवार मांग संलग्न विवरण में दर्शाई गई है **(नीचे देखिये)**

(ग) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत (तदर्थ बढ़ोतरी को छोड़कर) चीनी की आपूर्ति 1.10.86 को जनसंख्या के संदर्भ में 425 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिमाह आबंटन के सरकार के निर्णय पर आधारित है। सर्वेक्षण का प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) चीनी के पिछले मौसम के पूर्वाशिष्ट स्टॉक तथा चालू पेराई मौसम 1994-95 के दौरान 143.00 लाख टन के अनुमानित उत्पादन को ध्यान में रखते हुए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए लेवी चीनी आबंटन के वर्तमान स्तर पर चीनी की पर्याप्त उपलब्धता रहेगी।